न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती अपर्णा गुप्ता (आई.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 132/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
तारीख रजू : 29.12.2025 निर्णय दिनांक : 06.05.2026

1. सुमन पुत्री प्रेम देवी, जाति ब्राहम्ण, निवासी प्रागपुरा, तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान हाल आबाद 115 बालावाला मंदिर रामदास नगर चरखी दादरी, हरियाणा।

––प्रार्थिया

बनाम

1.उपखण्ड अधिकारी पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान।
2 ग्राम पंचायत प्रागपुरा, जरिये सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत प्रागपुरा, तहसील पावटा जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान।
3. नगरपालिका मण्डल पावटा प्रागपुरा, जिला कोटपूतली बहरोड जरिये अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मण्डल पावटा प्रागपुरा जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान।
4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पावटा।

–अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री जितेन्द्र कुमार रावत अधिवक्ता – प्रार्थिया की ओर से।

निर्णय

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बउनवानी सुमन बनाम ग्राम पंचायत प्रागपुरा, मुकदमा संख्या 14/2025 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा में विचाराधीन है, जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।
3. वकील प्रार्थी को सुना गया।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रकरण बाबत सुमन बनाम ग्राम पंचायत प्रागपुरा, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अपील संख्या 14/2025, अपील विरुद्ध आदेश ग्राम पंचायत प्रागपुरा, नामान्तकरण संख्या 358 दिनांक 26–6–1968 ग्राम प्रागपुरा, बाबत साबिक आराजी खसरा नम्बर 433, 434 वाके मौजा प्रागपुरा जिसके हाल खसरा नम्बर 540/1.92, 541/0.03, 542/2.81 वाके मौजा प्रागपुरा, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा में जेरकार है। प्रार्थिया यहाँ निवास नहीं करती है, जिसका फायदा उठाकर अप्रार्थीगण राजनैतिक दबाव एवं स्थानीय भूमाफियाओं से मिलीभगत कर प्रार्थिया के हक अधिकारों को खुर्द–बुर्द करने पर उतारू हैं तथा ऐलानियां धमकी दे रहे हैं कि उपखण्ड अधिकारी पावटा एवं तहसीलदार पावटा से उनकी बात हो चुकी है और फैसला उनके पक्ष में कराया जाएगा। प्रार्थिया को बिना जानकारी दिए निर्णय करने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त परिस्थितियों, अप्रार्थीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी को प्रभाव में लेने की ऐलानियां घोषणा तथा प्रार्थिया को निष्पक्ष न्याय नहीं मिलने की आशंका के कारण प्रार्थिया को यह आभास हो गया है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा से उसे न्याय प्राप्त नहीं होगा। न्याय के सिद्धांत अनुसार न केवल न्याय होना चाहिए बल्कि न्याय होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए, अतः यदि पक्षकार को निष्पक्ष न्याय प्राप्त होने में संदेह हो तो प्रकरण का अन्य साक्षम न्यायालय में स्थानांतरण न्यायसंगत एवं विधिसम्मत है।

अंत में वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा मे विचाराधीन अपील संख्या 14/2025, अपील विरुद्ध आदेश ग्राम पंचायत प्रागपुरा, नामान्तकरण संख्या 358 दिनांक 26–6–1968 ग्राम प्रागपुरा, तहसील पावटा, जिला

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड

कोटपूतली–बहरोड, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा से अन्यत्र किसी सक्षम अधिकारी के न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने की आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें।

5. वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी ने उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्रे अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन अपील बउनवानी सुमन बनाम ग्राम पंचायत प्रागपुरा, मुकदमा संख्या 14/2025 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा से अन्यत्र स्थानान्तरण करने हेतु प्रस्तुत किया हैं। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य परिलक्षित होता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आरोप केवल आशंका एवं कथनों पर आधारित हैं। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई ठोस, विश्वसनीय अथवा विधिसम्मत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षपातपूर्ण कार्यवाही की जा रही है अथवा पीठासीन अधिकारी किसी प्रकार से प्रभावित होकर न्यायिक कार्य संपादित कर रहे हैं। केवल इस आधार पर कि प्रार्थी को न्याय प्राप्त होने की आशंका है, प्रकरण का स्थानान्तरण किया जाना विधि सम्मत नहीं माना जा सकता। यह स्थापित विधिक सिद्धांत है कि न्यायालयों की निष्पक्षता पर केवल अनुमान अथवा सामान्य आरोपों के आधार पर संदेह व्यक्त नहीं किया जा सकता, जब तक कि उसके समर्थन में कोई ठोस सामग्री अभिलेख पर उपलब्ध न हो।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय कि प्रति उपखण्ड अधिकारी पावटा को भिजवाई जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 06.05.2026को सरे इजलास सुनाया गया।

(अपर्णा गुप्ता)
I.A.S.
जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़